राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग,जयपुर

आदेशिका

परिवाद संख्या– 21/08/4185 **दिनांक–21.09.2021**

एकलपीठ

समक्षः– माननीय अध्यक्ष जस्टिस श्री गोपाल कृष्ण व्यास

आज दिनांक 21.09.2021 को विभिन्न समाचार पत्रों एवं न्यूज चैनलों में यह समाचार प्रकाशित एवं प्रसारित हुआ है कि **''चोरी के आरोप में युवक को पकड सिर मुंडा, व्यथित होकर पूर्व सरपंच के पोते ने टांके मे कूद दे दी जान–**नोखा थाना क्षेत्र के दावां गांव की घटना''

राज्य के विभिन्न समाचार पत्रों एवं चैनलों में चोरी के आरोप में एक युवक को पकड कर सिर मुंडा देने से युवके के जान दे देने, नोखा थाना क्षेत्र के दावां गांव की घटना प्रकाशित एवं प्रसारित हुई है जिनमें यह दर्शाया गया है कि नोखा थाना क्षेत्र के एक गांव में कुछ लोगों द्वारा चोरी के आरोप में सिर के बाल काटने और मारपीट करने के मामले में नागौर के पूर्व सरपंच के पोते ने टांके में कूदकर जान दे दी। युवक के साथ बाल काटने व मारपीट करने के चार अलग–अलग वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुए तो पूरा घटनाक्रम उजागर हुआ।

RJ

समाचार पत्रों में यह भी प्रकाशित एवं प्रसारित किया गया है कि श्रीबालाजी थाना क्षेत्र के कालडी गांव निवासी पूर्व सरपंच धर्माराम भांभू के पुत्र सोहनराम का बेटा ओमप्रकाश भांभू रविवार रात्रि को बीकानेर के नोखा तहसील के दावां गांव पहुचा था। यहां उनकों कुछ लोगों ने पीछा करके पकड लिया और उस पर चोरी करने व घर में घुसने जैसे आरोप लगाये। इसके बाद आरोपियों ने युवक के सिर के बाल कैंची से काटे और इसके बाद उसके साथ मारपीट की। इसके बाद युवक ने टांके में कूद कर जान दे दी।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद–21 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से जीवन जीने का अधिकार है। चूंकि मौजूदा मामले में आरोपियों ने चोरी का आरोप लगा कर एक युवक के सिर के बाल कैंची से काटे और इसके बाद उसके साथ मारपीट की। इससे हताहत हो कर युवक ने टांके में कूद कर जान दे दी। इस प्रकार की घटना निश्चय ही मानव अधिकारों का खुला हनन है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है और न ही किसी के मानव अधिकारों के हनन करने का अधिकार है। ओमप्रकाश के साथ किया गया कृत्य निंदनीय है क्योकि एक युवा ने अपने सम्मान के कारण आत्महत्या की है क्योकि उसके बाल मात्र चोरी के आरोप में कैंची से काटे गये है जो एक घृणित कृत्य है जिसकी इजाजत कानूनी रूप से कभी नहीं दी जा सकती है।

RJ

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए उक्त खबर पर स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया जाता है।

इस **आदेश की प्रतिलिपि जिला कलक्टर, बीकानेर व जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस प्रकरण में विज्ञ अधिकारी से जांच करवाकर तथ्यात्मक रिपोर्ट आयोग के अवलोकनार्थ एक सप्ताह के अंदर प्रस्तुत करें।

प्रकरण में **आज ही नोटिस** जारी किया जावे एवं आदेश मय प्रकाशित समाचार की प्रतिलिपि के आज ही जरिये **फैक्स एवं ईमेल** संबंधित को प्रेषित की जावे।

पत्रावली दिनांक 27.09.2021 को पेश हो।

(न्यायाधिपति गोपाल कृष्ण व्यास)
अध्यक्ष

RJ